(b) 1 lie loial financial assistance provided itnder the scheme during the last three years as on 31-3-1993 is as under :

(Rupees in lakhs)

	1990-91	1991-92	1992-93
Central-State Quota	16.97	18.77	40.76
Central Quota	5.91	6.99	18.70
Central-UT Quota	0.14	0.15	0.41

Funds are not allocated State-wise.

(c) The total budgetary allocation during the Eighth Five Year Plan is Rs. 150.00 lakhs.

*349. *[Transferred to the 22nd March,* 1993].

जबलपुर में पटपरहा जलाशय परियोजना

*350. **श्री शिव प्रसाद चानपुरिया** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले की पटपरहा जलाशय परियोजना को पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 8 जुलाई, 1992 के अपने पत्र द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत स्वीकृति दिए जाने के परिप्रेक्ष्य में क्या पटपरहा जलाशय में आगामी चानसून में जल भण्डारण किया जायेगा; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पटपरहा टैंक परियोजना के लिए 43.3 हेक्टेयर वन भूमि व्यपवर्तित करना सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है । राज्य सरकार ने शर्तों की अनुपालना करनी है तथा वनभूमि का वास्तविक अंतरण होने से पहले वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत औपचारिक अनुमोदन प्राप्त करना है ।

देश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र

*351. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में 400 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बाढ़ आ सकती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अब तक केवल 140 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को ही बाढ़ से सुरक्षित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो शेष क्षेत्र को अभी तक बाढ़ से सुरक्षित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) देश में 400 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है । 320 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जिसे समीचित स्तर तक सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, में से, लगभग 140 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान की गयी है । तकनीकी आर्थिक बाधाओं के कारण शेष क्षेत्रों को शीघ्र सुरक्षा प्रदान करने में कठिनाई हो रही है ।

Consftrifction of weir near borders of M.P. and U.P. States

*352. SHRI LAKKHIRAM AGARWAL:

SHRI KAILASH NARAIN SARANG :

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Uttar Pradesh is constructing a weir near borders

of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh States under its Tons Lift Scheme;

(b) whether this weir would adversely affect the land and population of Madhya Pradesh during floods; and

(c) whether Uttar Pradesh has obtained permission of Madhya Pradesh in regard to submerged land and for sharing of waters ?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Tons pump canal project of Uttar Pradesh was approved by the Planning Commission in March, 1969. Government of Uttar Pradesh has taken up construction of a broad crested weir at the same location as that of the approved Tons pump canal project near its borders with Madhya Pradesh.

(b) and (c) A high level bilateral inter-State meeting was held between Madhya Pradesh and Uttar Pradesh in January, 1992 to sort out inter-State aspects of the project. Uttar Pradesh has assured to protect the land affected in Madhya Pradesh by construction of bunds wherever necessary.

इस्पात की कीमतों में वृद्धि

*353. **श्री दिग्विजय सिंह :**

श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

क्या इस्पात मंत्री 26 फरवरी, 1993 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 622 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात की कीमतों में हाल ही में की गई वृद्धि के परिणामस्वरूप सरकार को कितना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है,

(ख) क्या इस्पात और लौहे की आयात की जाने वाली विभिन्न किस्मों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का भी निर्णय लिया गया है, और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इससे कितना राजस्व प्राप्त होगा ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) "सेल" द्वारा घोषित लोहा और इस्पात के उत्पाद मूल्यों में दिनांक 2/3 फरवरी, 1993 से हुए परिवर्तन के कारण स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि. (सेल) से वर्ष 1992-93 की शेष अवधि तथा 1993-94 में उत्पाद शुल्क से सरकार को क्रमश: लगभग 3.0 करोड़ रुपये तथा लगभग 20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है ।

(ख) और (ग) सरकार ने समय-समय पर घोषित सीमाशुल्क को छोड़कर विभिन्न प्रकार के लोहे और इस्पात के आयात पर कोई नया अतिरिक्त शुल्क लगाने का कोई निर्णय नहीं लिया है ।

Revision of pay scale of teachers in Kendriya Vidayalayas

*354. SHRI SARADA MOHANTY :

SHRI MISA R. GANESAN :

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Joint Consultative Machinery of Kendriya Vid yalaya Sangathan has referred the question of revision of pay scale of K. V. teachers to Government; and

(b) -if so, what is the reaction of Gov ernment thereto ?

THE MINISTER OF HUMAN RE SOURCE EVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) On a reference received from the Kendriya Vidyalaya Sangathan, whether the issue of revision of pay scale of teachers can be remitted for arbitration as per provisions of its Joint Consultative